

हिन्दी प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी चंडीगढ़
(तिथि 27 नवंबर 2024, समय 1305 (5 मिनट))

सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में चुनावों में मत पत्र प्रणाली को फिर से लागू करने संबंधी जनहित याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के ई.वी.एम से छेड़छाड़ के दावों को खारिज करते हुए उन नेताओं की असंगतता को भी उजागर किया, जो ई.वी.एम की विश्वसनीयता पर तभी सवाल उठाते हैं जब वे चुनाव हार जाते हैं। याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और पी.बी.वराले की पीठ ने टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता को कहा कि यदि वे चुनाव जीतते हैं तो ई.वी.एम से छेड़छाड़ नहीं होती है। जब वे चुनाव हारते हैं तो ई.वी.एम से छेड़छाड़ होती है। पीठ ने याचिकाकर्ता डॉ.के.ए.पॉल की दलीलों को बेबुनियाद पाते हुए टिप्पणी की कि राजनीतिक दलों को इस प्रणाली से कोई समस्या नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर आज कुरुक्षेत्र जिला प्रशासन द्वारा इस धर्म क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के महाअभियान की शुरुआत की गई। इस का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह ने शेख चिल्ली के मकबरे से किया। मुख्यमंत्री नायब सद्दी ने स्वयं श्रमदान कर सभी को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वच्छता रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान शहर में इधर-उधर पक्षी गंदगी को उठाकर शहर से दूर करने का प्रयास करेगी। स्वच्छता महाअभियान के तहत शहर को 18 जोन में बांटा गया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सद्दी ने कहा कि लाडवा हलके को आदर्श विधानसभा हलके के रूप में विकसित किया जाएगा, इसके लिए योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के हर गांव और वार्ड का लोगों के सुझावों के अनुसार विकास किया जाएगा और नागरिकों की सभी सामूहिक मांगों को सबसे पहले पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव मथाना व लाडवा में आयोजित धन्यवाद कार्यक्रमों में बोल रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गांव मथाना के विकास के लिए 21 लाख रुपये देने की घोषणा की और लाडवा व मथाना वासियों की सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी।

झज्जर की श्रीमती रेणु को वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी नस्ल के मवेशी पालने वाले डेयरी किसान की श्रेणी में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है। इस श्रेणी के पुरस्कार में 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, योग्यता प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह शामिल है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह के अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने प्रदान किया। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा ने लगातार तीन वर्षों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार हासिल किया है। वर्ष 2023 में, करनाल के श्री राम सिंह को तथा वर्ष 2022 में फतेहाबाद के श्री जितेंद्र सिंह को यह पुरस्कार मिला था।

भारत की राष्ट्रीय ओपिंग एजेंसी ने टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को चार वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है। बजरंग पुनिया ने राष्ट्रीय टीम चयन ट्रायल के दौरान 10 मार्च को ओपिंग टेस्ट के लिए सैपल देने से इंकार किया था। इससे पहले एजेंसी ने 23 अप्रैल को बजरंग पुनिया को अस्थाई तौर पर निलंबित किया था। चार वर्ष की पाबंदी से बजरंग पुनिया कुश्ती प्रतियोगिताओं में वापसी नहीं कर पाएंगे और अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक के लिए आवेदन करने से भी वंचित रहेंगे।

राजपुरा और बठिंडा सेक्शन पर रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा दोहरीकरण कार्य के लिए प्री-नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रेलगाड़ियों की आवृत्ति प्रभावित होगी। अंबाला रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक नवीन कुमार ने बताया कि इस कारण जिसमें बठिंडा-अंबाला छावनी-बठिंडा रूट की 04549 /04550 रेल गाड़ी 7 दिसंबर तक रद्द रहेगी। वहीं इसी रूट की 04547/04548 रेलगाड़ी 8 दिसंबर तक धुरी जंक्शन पर ही शुरू और खत्म होगी। इसी तरह 14735/14536 श्री गंगा नगर-अंबाला छावनी-श्री गंगा नगर रेलगाड़ी 30 नवंबर से 8 दिसंबर तक बठिंडा से चल कर वहाँ ही सफर की समाप्ति करेगी। इसी तरह नांदेड़- जम्मू तवी- नांदेड़ रेलगाड़ी को 29 नवंबर से 6 दिसंबर तक पटियाला, धुरी और मलेरकोटला स्टेशन को छोड़कर सरहिंद, साहनेवाल और लुधियाना के रास्ते भेजा जाएगा।

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता को शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि पीड़ित को इस योजना का समय पर लाभ मिलन सुनिश्चित करें। कल यमुनानगर में उपायुक्त कार्यालय में जिला प्रवर्तन एवं निगरान कमेटी की तिमाही बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत आने वाले मामलों से संबंधित जानकारी ली। बैठक में उपायुक्त मनोज कुमार ने उन्हें बताया कि अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत जिले में 20 मामले आए थे, जिन्हें आर्थिक सहायता के रूप में 37 लाख 45 हजार रुपये का सहयोग दिया गया। उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में सभी मामलों का निपटारा कर दिया जाएगा।
